पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 24, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	65–72	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	87–95	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	55–62	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 159 / XXXI(1) / 2021 / पदो0–03 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री अरूणा को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अरूणा, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–सुश्री अरूणा, अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

08 जनवरी, 2020 ई0

संख्या 19 / VIII-1 / 20–70(श्रम) / 2001–II–रजिस्ट्रार (Vigilance) मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 271 / UHC/Admin.A / 2020, दिनांक 22.12.2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, वर्ष 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु नियमावली–1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर का अतिरिक्त प्रभार श्री वरूण कुमार, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

20 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 120/XXVIII(5)/21–22(सामान्य)/2015–राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 8 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2020 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नियम 8 के खण्ड (ग) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 16 का संशोधन	3.	मूल नियमावली के नियम 16 में– (i) उपनियम (7) का लोप कर दिया जायेगा। (ii) उपनियम (8) में "एवं प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 05/XXVIII-2-2021-100/2009 टी0सी0–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–70(3) में उल्लिखित प्राविधानानुसार जिला–देहरादून में स्थापित खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में श्रीमती सुजाता सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश–प्रथम, जिला देहरादून को उनके वर्तमान कार्य दायित्वों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रत्येक कार्यदिवसीय शनिवार को अर्द्धदिवस हेतु पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जिला देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी।

3. उक्त अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या–5739/UHC/XII-b-3/Admin.A/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 95/XXVIII-2-2021-100/2009 टी0सी0–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा–70(3) में उल्लिखित प्राविधानानुसार जिला–नैनीताल में स्थापित खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुपालन में श्री राजेन्द्र जोशी, जिला एवं सत्र न्यायधीश, नैनीताल को उनके वर्तमान कार्य दायित्वों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रत्येक कार्यदिवसीय शनिवार को अर्द्धदिवस हेतु पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी।

3. उक्त अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या–5739/UHC/XII-b-3/Admin.A/2020, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 121/XXVIII(5)2021-08(सा0)/2020–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संवर्ग/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/ आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन नियमावली, 2021 है।

(2) यह नियमावली उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न कार्मिक यथा–शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल संवर्ग/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर संविलियन के लिए लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ

3. इस नियमावली में, जब तक कि विषयों या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सेवा नियमों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियम 4(2) में उल्लिखित सेवा शर्त से अभिप्रेत है।

(ख) "उपलब्ध रिक्ति" से ऐसी रिक्त अभिप्रेत है, जो संविलियन की तिथि को स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हो;

(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) "चयन बोर्ड" से उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "सेवा नियमावली" से शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/ टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों को शासित करने वाली नियमावालियों से अभिप्रेत है;

(च) "कार्यकारी आदेश" से उक्त पदों को शासित करने वाले कार्यकारी आदेश अभिप्रेत है;

(छ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की कई है;

संविलियन हेतु पात्रता

4.(1) नियुक्ति प्राधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग के शिक्षण संवर्ग, नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ सेवा संवर्ग में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सम्बद्ध कार्यरत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का संविलियन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रवृत्त विभिन्न संवर्गो की नियमावलियों द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार करेगा।

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषजी संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पदों पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध टीचिंग चिकित्सालयों में तैनात कार्मिक ही संविलियन हेतु पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे कार्मिक, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग में सम्बन्धित प्रद पर तत्समय प्रवृत्त नियमावली में विहित प्रावधान के अनुसार अर्हताओं को पूर्ण करते हैं, का ही संविलियन रिक्त पदो के सापेक्ष किया जायेगा।

(4) संविलियन समकक्ष पद एवं समान वेतनमान में ही किया जायेगा।

आरक्षण

5. प्रत्येक पद पर संविलियन करते समय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

संविलियन हेतु शर्तो का निर्धारण

6.(1) टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट/आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ आदि के पद पर संविलियन आदेश में इंगित तिथि, सम्बन्धित कर्मचारी की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गो में सम्बन्धित पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी और उस तिथि के बाद सम्बन्धित पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामले चिकित्सा शिक्षा विभाग की संगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत व्यवहृत होंगे।

(2) संविलियन होने वाले कार्मिकों की चिकित्सा शिक्षा विभाग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ही सेवा लाभ यथा–ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ के लिए गणना की जायेगी।

(3) संविलियन के पश्चात् कार्मिक की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्ग में सम्बन्धित पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता सम्बन्धित संवर्ग के पद पर उनके मूल विभाग में मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों के नीचे ज्येष्ठता सूची में रखा जायेगा।

(4) संविलियन होने वाले कार्मिकों के पूर्व के अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश की गणना सम्बन्धित सेवा संवर्ग के अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के साथ किया जायेगा।

(5) कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 की राशि उनके भविष्य निधि लेखे में पूर्व की भाँति बनी रहेगी। जी0पी0एफ0 से अग्रिम की मांग पर पूर्व में जमा अवशेष की गणना की जायेगी। पूर्व में लिये गये विभागीय ऋण/भविष्य निधि से लिये गये अस्थाई अग्रिम की कटौतियाँ पूर्व में भांति निर्धारित शर्तों पर की जायेगी।

(6) उपरोक्त सन्दर्भित पदों में से किसी पद पर समायोजित होने वाले कार्मिक का वेतनमान यदि समयोजित होने वाले पद के न्यूनतम वेतनमान से कम होता है, तो उस स्थिति में कार्मिक को समयोजित होने वाले पद के वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम सैल पर निर्धारित किया जायेगा। वेतन एवं भत्ते संरक्षित रहेगा।

(7) यदि किसी कार्मिक का वेतन समायोजित होने वाले पद के वेतन से अधिक होता है, तो अतिरिक्त वेतन को वैयक्तिक वेतन के रूप में संरक्षित किया जायेगा तथा भविष्य में वेतन वृद्धियों में आमेलित किया जायेगा।

नियुक्तियों को सुसंगत सेवा, नियमावली के अधीन किया गया समझा जायेगा

7. इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्तियाँ, सम्बन्धित कार्मिक की चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न सेवा संवर्ग में टीचिंग संवर्ग (शिक्षण संवर्ग), नर्सिंग संवर्ग, पैरामेडिकल/टैक्नीशियन संवर्ग, फिजियोथेरिपिस्ट /आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग, सोशल वर्कर संवर्ग, वैयक्तिक सहायक संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग, भेषज संवर्ग व अन्य स्टॉफ के अधीन की गयी नियुक्तियाँ समझी जायेंगी।

(2) संविलियन होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि क्या वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलियन हेतु सहमत हैं अथवा नहीं। यदि कोई कार्मिक अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहें, तो उसके लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के पद पर संविलियन हेतु इच्छुक नहीं है और उस दशा में उसे उसके पैतृक विभाग को वापस कर दिया जायेगा और ऐसा कर्मचारी किसी प्रकार का प्रतिकर आदि का हकदार नहीं होगा।

(3) संविलियन के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

विज्ञप्ति

18 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 1737/VII-A-1/2021–03ख/2018–विज्ञप्ति संख्या–1577/VII-1/2017/46ख/17, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 23 (1) के प्रावधानानुसार जनपद पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं नैनीताल के कुल 105 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया था, जिसमें जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत क्र.सं. 13 पर वर्णित "जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 717/21, 717/22 कुल रकवा 8.6673 है0" के स्थान पर "जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट के खसरा नम्बर 717/21/0.800 है0, 717/22/7.5036 है0, 717/23/0.300 है0, 717/24म/0.0637 है0 कुल 04 किते कुल क्षेत्रफल 8.6673 है0 (नया खसरा नम्बर 1322म, क्षेत्रफल 8.6673 है0) का संशोधन किया जाता है।

2–संगत विज्ञप्ति दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

दिनेश सिंह भण्डारी,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/60–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 24, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

January 07, 2021

No. 03/UHC/Admin.A/2021--Hon'ble Shri Justice Raghvendra Singh Chauhan, has assumed charge of office of Chief Justice of the High Court of Uttarakhand on **January 07, 2021 at 11:40 A.M. vide Notification No. K. 13032/02/2020-US.I, dated 31.12.2020** issued by Government of India, Ministry of Law & Justice (Department of Justice), New Delhi.

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

January 19, 2021

No. 05/XIV-95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Judge, Family Court, Almora is hereby sanctioned earned leave for 16 days *w.e.f.* 27.10.2020 to 11.11.2020 with permission to prefix 24.10.2020 to 26.10.2020 as holidays and suffix 12.11.2020 to 16.11.2020 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 22, 2021

No. 06/XIV-a/34/Admin.A/2017--Ms. Bhawna Pandey, the then Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital, presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned maternity leave for 162 days *w.e.f.* 10.01.2020 to 19.06.2020, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24/08/2009, issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

January 22, 2021

No. 07/XIV-69/Admin.A/2003--Ms. Rama Pandey, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 24 days *w.e.f.* 01.12.2020 to 24.12.2020, with permission to prefix 29.11.2020 & 30.11.2020 as Sunday and Gurunanak birthday holidays and suffix 25.12.2020 to 31.12.2020 as Christmas holidays and 01.01.2021 as New Year's day holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

I/c Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 25, 2021

No. 08/XIV-70/Admin.A/2003--Shri Manish Mishra, 1st Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 02.01.2021 to 14.01.2021, with permission to prefix 25.12.2020 to 01.01.2021 as Christams and New Year's day holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

I/c Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

January 27, 2021

No. 09 UHC/ADMIN.(A)/2021--In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all the other powers enabling in that behalf, the High Court of Uttarakhand hereby makes the following amendment in the High Court of Uttarakhand Rules, 2020 :--

Sl. No.	Existing Rule	Amended Rule
1	**5. Use of both sides of paper-** All cases including petitions, memorandum of appeals, applications, affidavits, annexures, *vakalatnama* or any other material shall be type written on both sides of the paper with following side margins- (A) Top margin two centimetre (B) Bottom margin two centimetre (C) Left margin four centimetre (D) Right margin four centimetre	**5. Use of paper-** All cases including petitions, memorandum of appeals, applications, affidavits, annexures, *vakalatnama* or any other material shall be type written on one side of the paper with following side margins – (A) Top margin two centimetre (B) Bottom margin two centimetre (C) Left margin four centimetre (D) Right margin two centimetre
2	**6. Font type and size-** All cases including petitions, memorandum of appeals, applications, affidavits, vakalatnama or any other material shall be type written in New Times Roman font with font size 16 with 1.5 line spacing. For the headings, font size shall be 18 in the Times New Roman Font.	**6. Font type and size-** All cases including petitions, memorandum of appeals, applications, affidavits, vakalatnama or any other material shall be type written in New Times Roman font with font size 15 with 1.5 line spacing. For the headings, font size shall be 17 in the Times New Roman Font.

3	**15.** Every Presentation Form shall be filed in the manner that on its overleaf, it has a printed format for scrutiny report of the Registry, which is prescribed in schedule as 'Format No. 2'	**15.** In every case, Registry shall furnish its scrutiny report in the format, prescribed in schedule as 'Format No. 2'
4	**19.** The index shall be prepared and filed in such manner that at least ten rows, next to the last row filled up by the advocates, are also drawn and left blank for future use of Registry. For this purpose also, both sides of papers shall be used	**19.** The index shall be prepared and filed in such manner that at least ten rows, next to the last row filled up by the advocates, are also drawn and left blank for future use of Registry.
5	**23.** The Presentation Form, index, receipt of court fee and brief details of date and events of the case *etc.* shall be filed in following chronological order- (A) Presentation Form with blank format for scrutiny report on its overleaf. (B) Index (C) Receipt of court fees paid (D) Brief details of date and events of the case (E) Other papers, if any, prior to the Petition, Memorandum of Appeal, Application *etc.*	**23.** The Presentation Form, index, receipt of court fee and brief details of date and events of the case *etc.* shall be in following chronological order- (A) Scrutiny report (B) Presentation Form. (C) Index (D) Receipt of court fees paid (E) Brief details of date and events of the case (F) Other papers, if any, prior to the Petition, Memorandum of Appeal, Application *etc.*

These Amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of the Hon'ble Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

January 30, 2021

No. 10/UHC/Admin.A/2021--Shri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Almora is transferred and posted as District & Sessions Judge, Dehradun on Vacant Post.

The Order will come into force with immediate effect.

NOTIFICATION

January 30, 2021

No. 11/UHC/Admin.A/2021--Shri Malik Mazhar Sultan, Principal Judge, Family Court, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Almora vice Shri Pradeep Pant.

The Order will come into force with immediate effect.

Note: Recommendation is being sent to the Government for giving additional charge of Principal Judge, Family Court, Dehradun to Shri Shrikant Pandey, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun in addition to his present duties.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

31 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 745/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2020–सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आरएस0 पार्ट–3 दिनांक 18.08.2015 सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3 दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। अतः लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी रूद्रप्रयाग के रूप में मोहित कुमार कोठारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी रूद्रप्रयाग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूँ। उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा :–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	रवि कुमार पुत्र श्री दशरथ राजक मकान स0–6130 सेक्टर 56 चंड़ीगढ़ पिन– 160055	**CH-0120120016482** VALIDITY (NT) 11-11-2032	ओवर लोड(भार वाहन)।	ARTO RUDRAPRAYAG	28.12.2020 से 27.03.2020
2	सुनील कुमार पुत्र श्री सुलोचन लाल ग्राम बनीखेत पो0 रतूडा जनपद रूद्रप्रयाग पिन– 246171	**UK-1320120001659** VALIDITY (NT) 08-01-2032	बिना हेलमेट वाहन का संचालन।	ARTO RUDRAPRAYAG	28.12.2020 से 27.03.2020
3	मोहम्मद वाजिद पुत्र श्री मोहम्मद आयूब मोह– नई बस्ती चार बाघ जब्तागंज, नजीबाबाद बिजनौर पिन– 246763	**UP-2020170010495** VALIDITY (NT) 18-07-2037 VALIDITY (T) 23-12-2024	ओवरलोड सवारी(भार वाहन)।	ARTO RUDRAPRAYAG	30.12.2020 से 29.03.2021

मोहित कुमार कोठारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

प्ररूप–2

{ नियम 5(1) देखें }

प्रारम्भिक अधिसूचना

03 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 211/आठ–वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2021–चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजन–देहरादून शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु सौंग बॉध पेयजल परियोजना के लिए ग्राम प्लेड, परगना परवादून, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून में कुल 1.9400 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और जिसका सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन मैसस ऐवरेन ग्लोबल सर्विसज प्रा0लि0, नई दिल्ली (एस.आई.ए. यूनिट) द्वारा किया गया और नियम 4 के अधीन यथा निर्धारित कलक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक प्रारम्भिक अन्वेषण/सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है :–

(अ) परियोजना से प्रभावितों पर पड़ने वाला प्रभाव (समाघात)–

1. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण से ग्रामीणों की कृषि भूमि व आवासीय भूमि अधिग्रहित हो जाएगी तथा कृषि निर्भरता होने के कारण परिवारों की आय में क्षति होगी। प्रभाव का विस्तार अर्जित की जाने वाली उत्पादक भूमि के अनुपात पर निर्भर करेगा। कुछ परिवार अत्यधिक प्रभावित हो जायेगें या भूमिहीन हो जाएगें।

2. परियोजना के सन्निर्माण चरण में अतिरिक्त रोजगार सृजन और प्रवासन के कारण स्थानीय क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होगी, जिसका अतिरिक्त भार स्थानीय क्षेत्र में विद्यमान अवसरचनाओं तथा सेवाओं पर पड़ेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान अवसंरचनाओं व सेवाओं की क्षमता कम पड़ सकती है। पूजा के स्थान, शवदाह स्थान, पशुओं के लिए चारागाह भूमि भी प्रभावित होंगे। यद्यपि यह प्रभाव स्थानीय एवं अल्प अवधि के लिए होगा। परियोजना के संचालन चरण में काम में कटौती होगी और इसलिए तब स्थानीय संरचनाओं पर दवाब कम हो जाएगा।

3. परियोजना के सन्निर्माण चरण के दौरान क्षेत्र में बाहरी लोगों के आगमन/ प्रवासन से जातीयता और धार्मिक मूल्यों में अन्तर जैसे सामाजिक मुद्दे प्रकट हो सकते है। परियोजना में बाहरी लोगो के द्वारा रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में स्थानीय लोगों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे बाहरी कार्यबल व स्थानीय ग्रामीणों के बीच सामुदायिक संघर्ष की सम्भावना बन सकती है।

4. परियोजना के निर्माण से स्थानीय सरकारी/ सामुदायिक अवसंरचनाएं यथा–सड़के, पेयजल लाइनें, विद्युत लाइनें, विद्यालय भवन, धार्मिक स्थल, सिंचाई के साधन, चारागाह आदि प्रभावित होंगे जिनका स्थानीय ग्रामीणों के जीवनयापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ब) परियोजना का लाभ

1. परियोजना निर्माण से देहरादून शहर और उसके शहरी क्षेत्रों के लिए भविष्य में 15 लाख की आशायित जनसंख्या को 150 एम0एल0डी0 पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी।

2. यह परियोजना गुरूत्व के माध्यम से जल की आपूर्ति करने मे सहायक होगी, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में नलकूपो से जल को पम्प करने में समाहित व्यय की बचत होगी।

3. परियोजना निर्माण होने से रोजगार अवसरों, वस्तुओं व सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय क्षेत्र के बेरोजगारों व छोटे व्यवसायियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

4. परियोजना के कारण निर्मित झील के कारण स्थानीय क्षेत्र के पर्यटक आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों हेतु स्वव्यवसाय, रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा।

5. परियोजना से प्रभावित होने वाली सरकारी/ सामुदायिक अवसंरचनाओं व सुविधाओं के पुनर्निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधरेगा।

6. जलाशय में जल का भण्डारण भूजल को पुनर्भरण में मदद करेगा और यह निचले सतही क्षेत्रों में जल के प्राकृतिक स्त्रोतो को बढ़ावा देगा।

(स) समाघात से बचने और प्रतिपूरित करने के उपाय(सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना)–

1. सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण से प्रभावित परिवारों के सामाजिक समाघात को न्यूनतम करने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार विचारणीय क्षतिपूर्ति घटकों को मिलाकर परियोजना प्रभावित कुटुम्बों को उचित पैकेज दिया जाना चाहिए।

2. सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु आयोजित लोक सुनवाई के दौरान प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा रखी गई मांगो व उनके उपचार के सम्बन्ध में विभागीय राय को सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना में अभिलिखित करते हुए उत्तराखण्ड शासन को निर्णयार्थ प्रेषित किये गये है, जिससे एक समुचित नीति इस परियोजना हेतु बनाई जा सकें।

3. परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली लोक सम्पत्तियों का स्थानान्तरण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारण सम्बन्धित विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा और उसे परियोजना के भाग के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

भूमि अर्जन के कारण लगभग कुल 25 कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए है।

अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में सचिव, सिचाई अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा अधिसूचना संख्या 1580/II(2)-2019-04(11) /2010, टी0सी0-I देहरादून दिनांक 28 नवम्बर, 2019 से नियुक्त किया गया है। अतः जिला देहरादून, परगना परवादून, तहसील डाईवाला के ग्राम प्लेड में उक्त परियोजना के लिए 1.9400 हैक्टेयर माप के निम्न भूखंडों अर्थात् 19400 वर्गमीटर मानक माप के भूखंड, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है :–

जनपद–देहरादून, परगना–परवादून, तहसील–डोईवाला, ग्राम प्लेड

क. सं0.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0 में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता	फल वृक्षों की संख्या	इमारती वृक्ष	कुकाट	मकान आदि सरचनांए	अन्य विवरण
1	1घ	निजी नाप भूमि	कृषि	0.4700	शकुन्तला नेगी पत्नी सूरत सिंह नेगी, नि0 केसरवाला	-	-	8	-	हितबद्व व्यक्तियों का नाम एवं पता तथा भूमि की चौदही, वृक्षों की किस्म तथा संख्या, मकान आदि संरचनाओं का प्रकार व प्लिंथ एरिया सहित प्रतिकर का पूर्ण मूल्यांकन तथा भवन का मूल्यांकन तकनीकी विभाग से करा कर प्रतिकर अन्तिम रूप से अधिनिर्णय के समय निर्धारित किया जाना है।
2	1	आबादी	आबादी	0.0280	आबादी	-	-	8	भवन	
3	9	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0435	इन्द्रा देई पत्नी चन्दन सिंह, नि0 ग्राम प्लेड	-	-	2	-	
4	10	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0720		-	-	2	-	
	9	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0265	प्रभुलाल बहुगुणा पुत्र नारायण दत्त बहुगुणा, नि0 पाववाला सौडा	-	-	-	-	
5	11	निजी नाप भूमि	कृषि	0.1500		-	-	1	-	
6	13	निजी नाप भूमि	कृषि	0.2000		-	-	8	-	
7	14	निजी नाप भूमि	कृषि	0.2250		-	-	11	-	
8	15क	निजी नाप भूमि	कृषि	0.1410		-	-	6	-	
9	16	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0570		-	-	1	-	
10	17क	निजी नाप भूमि	कृषि	0.1380		-	-	1	भवन	
11	18	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0240		-	-	1	-	
12	19	निजी नाप भूमि	कृषि	0.0570		1	-	2	भवन	
13	15ख	निजी नाप भूमि	कृषि	0.3080	नातवर सिंह पुत्र बादल, नि0 सा0देह0 बसन्ती देवी पत्नी जय सिंह विमला देवी पत्नी भरोसा सिंह	6	-	8	-	
			योग	1.9400		7		59	3 भवन	

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलक्टर के कार्यालय में और विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून और उनके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/ विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में, कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

संलग्नक : यथोक्त
स्थान : देहरादून

कलेक्टर,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/60–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2021 ई0 (माघ 24, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत, कीर्तिनगर

जनपद–टिहरी गढ़वाल

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उप नियमावली–2019

18 दिसम्बर, 2019 ई0

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक 1040/उपविधि/2019–20–नगर पंचायत कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा 298 की उपधारा–2 खण्ड–(ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, कीर्तिनगर द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग्स को नियन्त्रित करने एवं शुल्क वसूली के उद्देश्य से "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि–2019" बनायी जाती है, जो नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) को प्रेषित की जा सकेंगी। वाद–विवाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि– 2019

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भः

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि– 2019" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषएं:**

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर की सीमाओं से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, कीर्तिनगर से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ड) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम– 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधित एवं उपान्तण आदेश– 2002 से है।

(छ) **"विज्ञापन"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर, होर्डिंग, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री से है।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़को के समानान्तर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल पैडिंट सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5X3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊंचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम 30 फिट की दूरी होगी।

4. यूनिपोल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी वहां से इन यूनिपोल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते है।

5. होर्डिंग/यूनिपोल का अधिकतम साईज 20X10 फिट होगा।

6. होर्डिंग/यूनिपोल सड़क की पेन्टिग सर्फेस से न्यूनतम 2.5 मीटर दूरी पर लगाये जायें।

7. होर्डिंग/यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम के आकार की होनी चाहिये जिससे आंधी आदि में न गिरे। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रचर इन्जीनियर से रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. चौराहों व मोड़ों पर 25–25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नही लगाये जायेंगे।

9. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनिक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।

10. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा।

11. नगर पंचायत, कीर्तिनगर में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि रू0. 10,000.00 (दस हजार) पंचायत कोष में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रू0.5,000 (पॉच हजार) की धनराशि नवीनीकरण के रूप में निकाय कोष में जमा करायेगा।

12. नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों/पोल क्योस्क का न्यूनतम् शुल्क प्रति वर्ग फिट की दर से आगणित किया जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् शुल्क में 10% की वृद्धि की जायेगी अथवा निम्न शुल्क को न्यूनतम् मानते हुए होर्डिंग की सार्वजनिक नीलामी करायी जायेगी।

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण	दर (रू0 में)	यूनिट
1	मुख्य मार्ग (एन0एच0/प्रन्तीय मार्गों) के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हो)	130.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
2	नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाले विज्ञापन, होर्डिंग आदि	70.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष

3	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3X2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3X2 फिट)	800.00	प्रति पोल/प्रति वर्ष प्रति पोल/प्रति वर्ष
4	दुकानों/भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
5	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
6	फ्लाईओवर कॉलम (10X20 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
7	पुल/पुल के कॉलम पर (10X20 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
8	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कल्वर्ट (8X15 फिट)	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
9	निजी बस/पब्लिक बस एडवरटाईजिंग 4X15 फिट (दोनों साईड) बैंक साइड 3X3 फिट	40.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
10	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
11	डिमोस्टेशन वाहन	400.00	प्रति दिन
12	बिल्डिंग रैप 80X20 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
13	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3X5 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
14	ट्री–गार्ड 1.5X1.5 फिट	50.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
15	ट्रैफिक बैरीकटिंग	400.00	प्रति बैरीकैटिंग
16	ट्रैफिक पोस्ट के ऊपर कियोस्क 2X3 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
17	सार्वजनिक शौचालय दो साईड वाल 8X10 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
18	रोड डिवाईडर पर यूनिपोल गैन्ट्री 40X8 फिट	200.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
19	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	100.00 50.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
20	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	8,000.00 800.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
21	स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	80,000.00	वार्षिक
22	बस शैल्टर, 26X5 फिट	80.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
23	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 3X2 फिट	150.00	प्रति वर्ग फिट/प्रतिवर्ष
24	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	150.00	प्रति बैलून/प्रतिवर्ष

13. **निम्नलिखित क्षेत्रों को विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा–**

1– नदी के किनारे स्थित समस्त घाट।

2– धार्मिक स्थल।

3– नगर पंचायत कार्यालय के आसपास।

14. नगर पंचायत सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्त्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।

15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100%) जमा किया जायेगा। एक माह शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखें होगें वहां निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेंगें। इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5X3 फिट का होगा।

17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नगद के रूप में ही जमा किया जायेगा।

18. निजी भवनों की छतो पर विज्ञापन पट्ट पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।

19. प्रत्येक तिराहों पर चौराहों में जहां कि समय–समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल–बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेंगा।

20. पोल कियोस्क का साईज 2X3 फिट होगा।

21. सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसें– शराब, तम्बाकू, धुम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रुरता, हिसात्मक, विध्वंशक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

22. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृति पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त के लिए कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर पंचायत, कीर्तिनगर स्वीकृत होर्डिंग का सत्यापन नियमित रूप से प्रतिमाह करेगें।

23. विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम् एक वर्ष के लिए दीं जायेगी।

24. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नही होगा।

25. यूनियन रोड़ कांग्रेस द्वारा रोड़ साईन (आई0आर0सी0) 67–2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमन्य होगा। विज्ञापन पट्ट में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक साईन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नही होगा।

26. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम् धनराशि पर शीलबन्द निविदाएं आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। निविदाएं अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा गठित समिति के द्वारा मांगी जायेगी तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

27. रोड़ पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रू0 30,000/– जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।

28. जनहित में नगर पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायेगें उन पर सुन्दर कीर्तिनगर, स्वच्छ कीर्तिनगर, हरा कीर्तिनगर का स्लोगान प्रदर्शित किये जायेगें तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकतानुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।

29. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू0. 5,000/– तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू0. 500/– तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) में अन्तिम रूप में निहित होगा।

यह उपविधि नियमावली नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक 08.07.2019 में प्रस्ताव संख्या– 74 के द्वारा पारित की गयी।

वासुदेव डंगवाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर।

कैलाशी देवी जाखी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कीर्तिनगर।

कार्यालय नगर पंचायत, कीर्तिनगर

जनपद–टिहरी गढ़वाल

18 दिसम्बर, 2019 ई0

सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2018

पत्रांक 1041/उपविधि/2019–20

1– **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि– 2018" कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषाऐं:

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) **"नगर पंचायत"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर से है।

(ख) **"सीमा"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर की सीमा से है।

(ग) **"अधिशासी अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कीर्तिनगर से है।

(घ) **"अध्यक्ष"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ड़) **"बोर्ड"** का तात्पर्य नगर पंचायत, कीर्तिनगर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(च) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम– 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से है।

(छ) **"वार्षिक मूल्याकंन"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 140 व धारा– 141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) **"सम्पत्ति/भवनकर"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 128 के अन्तर्गत भवनों या भूमियों दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) **"समिति"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(प) **"भवन एवं भूमि"** का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

(फ) **"स्वामी"** का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।

(ब) **"अध्यासी"** का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।

3– **वार्षिक मूल्याकंन:**

नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम– 1916 की धारा– 141 (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हो, या न हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण की सकते है। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्याकंन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन व निर्माण की अनुमानित लागत लो0नि0वि0 की प्रचलित शेडयूल रेट और उससे अनुलगन भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्याकंन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कॉरपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर, इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम– 1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किया जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानार्थ) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ष फुट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है, कि जहॉ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी है, अत्यधिक हो, वहॉ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कॉरपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

(i) कक्ष–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आंछादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई घर और भण्डार गृह– आन्तरिक आयाम की 50% माप,

(iv) गैराज– आन्तरिक आयाम की एक चौड़ाई माप,

(v) गैराज– आन्तरिक आयाम की एक चौड़ाई माप,

(vi) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कॉरपेट क्षेत्रफल का अंग नही होगा।

2– उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनिमय) अधिनियम– 1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्ति–युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब मे नही लिया जायेगा।

3– सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथा स्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4– भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10% सम्पत्ति/भवन/भूमि कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नही होंगे।

(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएं तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हो।

(ग) नगर पंचायत, कीर्तिनगर की समस्त परिसम्पत्तियां।

5— स्वामित्व परिवर्तन/नामान्तरण हेतु आवेदक से आवासीय स्थिति में 1,000/— प्रति एक आवेदन व्यवसायिक स्थिति में 2,000/— तथा आवासीय व व्यवसायिक मिश्रित स्थिति में प्राप्त आवेदन पर 1,500/— नामान्तरण शुल्क देय होगा।

6— **कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशनः**

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम— 1916 की धारा— 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकानार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत कार्यालय के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकतें है तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 30 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

7— **आपत्तियों का निस्तारणः**

भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम— 1916 की धारा—104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा—

(क) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुए आपत्तिकर्त्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

(ख) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

(ग) शासनादेश सं0. 2064/नौ—9—97—79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

8— **कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षाः**

(क) अधिशासी अधिकारी या इन निमित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(ग) जैसे सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी।

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा—166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

9— कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की एसेसमेन्ट सूची पर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

10– जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए, इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दें।

11– (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह लागू हो, हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जाये, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्ररी होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी या जो जायदात का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने के तीन के अन्दर सूचना देगा।

12– (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर पर दिये जायेगें।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

13– उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग–अलग एक नोट में दर्ज किया जाये और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किसके हिस्सा माफ किया जाये जो कि एक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड रू0. 5,000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारें में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रू0. 200.00 (रूपये दो सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

यह उप नियमावली नगर पंचायत, कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) के माननीय नगर पंचायत बोर्ड की सहमति पर बोर्ड की बैठक 08.07.2019 में प्रस्ताव संख्या– 74 के द्वारा पारित की गयी।

वासुदेव डंगवाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

कैलाशी देवी जाखी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत कीर्तिनगर,
टिहरी गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/60–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।